पत्र सं0-विधि-4(3)-(2010-11) / कर की दर / 576 / 1213031 / वाणिज्य कर

प्रेषक

कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

सेवा में

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

दिनांक :: लखनऊ :: जुलाई 9 , 2012

महोदय

शासन की अधिसूचना संख्या 564 दिनांक 30-6-2012 द्वारा तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटका) पर कर की दर में परिवर्तन करते हुए इसे 50% किया गया था । उक्त व्यवसाय के व्यापारियों की प्रक्रियात्मक कठिनाई के दृष्टिगत उक्त निर्णय को एक माह के लिए स्थगित रखने के विषय में विचार करने के लिए अनुरोध किया गया था ।

शासन के पत्र सं0-क0नि0-635/ग्यारह-2-2012-9(1)/08 टीसी दिनांक 09 जुलाई , 2012 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अधिसूचना संख्या क0नि0-2-564/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(78)-2012 दिनांक 30 जून, 2012(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका) पर दिनांक 01-07-2012 से पूर्व देय कर 13.5% से अधिक देयकर की वसूली दिनांक 31-7-2012 तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया शासन के उक्त निर्देशों से तत्काल अपने अधीनस्थ अधिकारियों / व्यापारिक संघों तथा अधिवक्ता संघों को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर ,उ0प्र0 के आदेशानुसार जारी किया जा रहा है

(योगेन्द्र कुमार)
प्रभार एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ

पृ0प0सं0 एवं दिनांक : उक्त

1-संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 सचिवालय लखनऊ को उनके पत्र सं0-क0नि0-635/ग्यारह-2-2012-9(1)/08 टीसी दिनांक 09 जुलाई , 2012 के संदर्भ में परिशीलनार्थ प्रेषित है ।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय को संसूचनार्थ प्रेषित है ।

(योगेन्द्र कुमार)
प्रभार एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ

संख्या–क0नि0– 635 / ग्यारह–2–2012–9(1)/08टीसी

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
वाणिज्यकर एवं मनोरंजनकर विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

J.C (V)

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Accept
9.7.12

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 **लखनऊ::दिनांक:: 09 जुलाई, 2012**

विषयः तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका) पर कर की दर में परिवर्तन को एक माह स्थगित रखे जाने विषयक दिये गये प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–4(3)–(2010–11)/कर की दर/72/वाणिज्यकर दिनांक 04.7.2012 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या–564 दिनांक 30.06.2012 द्वारा तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका) पर कर की दर में परिवर्तन के कारण इन व्यापारियों को प्रक्रियात्मक कठिनाई को देखते हुए निर्णय को एक माह के लिये स्थगित रखने के विषय पर विचार करने का अनुरोध किया था।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अधिसूचना संख्या--क0नि0–2–564/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(78)–2012 दिनांक 30 जून, 2012 द्वारा तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका) पर दिनांक 01.07.2012 से पूर्व देयकर 13.5% से अधिक देयकर की वसूली दिनांक 31.7.2012 तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

09/7/12
(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।